कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 305/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 26.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-रौनापार:-युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 20.08.2025 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त अंकेश कुमार पुत्र मुन्नू उर्फ मुन्ना राम साकिन सरगहा सागर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 308/25 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64बीएनएस व 3/4पाक्सो एक्ट की बढोतरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 26.08.25 को उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंकेश कुमार पुत्र मुन्नू उर्फ मुन्ना राम साकिन सरगहा सागर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को ग्राम बनकटा – चुनहवा मोड़ तिराहा से समय करीब 07.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 308/25 धारा 87/137(2)/64 बीएनएस व 3/4पाक्सो एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. अंकेश कुमार पुत्र मुन्नू उर्फ मुन्ना राम साकिन सरगहा सागर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01.उ0नि0 सुमित सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
02.का0 विनय प्रताप सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
03.का0 नागेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

02.थाना-जीयनपुरः-चोरी के 01 अदद मंगलसूत्र व 1300 रूपये नगद के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.08.2025 को आवेदक मुनिराज पुत्र शिवपूजन सा0 बहरीपुर को0 जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मय खुद की पत्नी सुमन प्रजापति व भतिजी अर्चना के साथ अभियुक्ता रिया देवी पत्नी विनोद राम निवासी दोहरीघाट रहमतुल्ला मजार ब्रिज के पास थाना दोहरी घाट जनपद मऊ को लेकर आये और थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिये कि दिनांक 25.08.2025 को मै तथा मेरी पत्नी सुमन प्रजापति व मेरी भतीजी अर्चना तीज त्यौहार को लेकर जीयनपुर बाजार में खरीदारी कर रहे थे कि तभी तीन महिलायें चुपके से आकर हम लोगों के पीछे खड़ी हो गयी, जब हम लोग अपनी खरीदारी में व्यस्त हो गयी कि तभी चुपके से उन महिलाओं द्वारा मेरी पत्नी का मंगलसूत्र तथा मेरी भतीजी का पर्स चुरा लिया गया जैसे ही हम लोगों को ध्यान आया हम लोग उक्त महिलाओं को खोजने लगे कि तभी आजमगढ़ आने वाले रोड पर आजमगढ़ की तरफ जाती हुई उक्त महिलायें दिखी कि हम लोग जल्दी से उनके पास पहुंच गये तथा पकडने का प्रयास किये जिससे की दो महिलायें हाथ छुड़ाकर भाग गयी तथा एक महिला को मेरी पत्नी व भतीजी ने पकड़ लिया तभी आस-पास के काफी लोग इकट्ठा हो गये मेरी पत्नी व भतीजी ने उक्त महिला को चेक किया तो उसके पास से मेरी पत्नी का मंगल सूत्र तथा मेरी भतीजी का पर्स मिला जिसमें 1300 रूपये नगद था तथा उक्त महिला से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रिया देवी पत्नी विनोद राम निवासी दोहरीघाट रहमतुल्ला मजार ब्रिज के पास थाना दोहरी घाट जनपद मऊ बताया और अपने सहयोगी दो अन्य महिलाओं का नाम बताने में आनाकानी कर रही है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 335/2025 धारा 303(2)/317(2BNS बनाम 1.रिया देवी पत्नी विनोद राम निवासी दोहरीघाट रहमतुल्ला मजार ब्रिज के पास थाना दोहरी घाट जनपद मऊ 2.दो महिलाये नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः-

01. रिया देवी पत्नी विनोद राम निवासी दोहरीघाट रहमतुल्ला मजार ब्रिज के पास थाना दोहरी घाट जनपद मऊ उम्र करीब 28वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद मंगल सुत्र पीली धातु व नकल 1300 रूपये बरामद

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्ता द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मै तथा मेरी ननद व भाभी कस्बा बाजार व भीड़ भाड़ वाले स्थानो पर घूमते रहते है तथा भोली-भाली औरतों जिनके पास गहने रूपये आदि रहते है उनके पीछे लग कर मौका पाते ही उनके गहने रूपये आदि चुरा लेते है तथा बाद चुराये हुये गहनो व रूपयो को आपस मे बराबर बाट लेते है। दिनांक 25.08.2025 कस्बा जीयनपुर मे एक दुकान पर महिला का चेन व पर्स चुराये जिसमें मै पकडी गयी तथा मेरी भाभी व ननद भाग गयी।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 335/2025 धारा 303(2)/317(2BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

03. थाना-सरायमीरः- चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी के 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.06.2025 को वादी शाह आलम पुत्र बदरेआलम निवासी ग्राम सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनाँक 29.06.2025 को लगभग आठ बजे रात में मो0 सैफ पुत्र जुल्कदर ग्राम डेमरी मकदूमपुर थाना सरायमीर की सुपर स्पलेण्डर बाईक जिसका नम्बर UP50AC5766 है को लेकर वह सिकरौर सहबरी बाजार में गया था तथा बाईक आईडियल स्कूल के सामने खड़ी कर सामान लेने लगा। वापस आया तो देखा की बाईक वहाँ नहीं है, ढूढने का अधिक प्रयास किया मगर बाईक कही नहीं मिली। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/2025 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1. सरफराज पुत्र निजामुद्दीन निवासी सिराजी का पुरा , थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2.इमरान पुत्र युनुस निवासी सिराजी का पुरा थाना सरायमीर ,जनपद- आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 26.08.2025 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह को मुखबिर खास से सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त बस्ती नहर के रास्ते शेरवा नहर की तरफ एक मोटर साइकिल की तरफ आने वाले है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ नन्दाव मोड़ से प्रस्थान कर शेरवा नहर हाजी पुलिया के कुछ दूर पहले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाने लगी कि थोड़ी देर में बस्ती नहर पकड कर शेरवा नहर हाजी पुलिया की तरफ से एक मोटर साइकिल तेजी से आती दिखाई दी नजदीक आने पर हम पुलिस वालों द्वारा उन्हें रूकने का इशारा किया गया कि हम पुलिस वालों को देखकर मोटर मोडकर पीछे भागना चाहे कि हडबडहट में असंतुलित होकर गिर गये व मोटर साइकिल बन्द हो गयी जिन्हें हम पुलिस वालों मोटर साइकिल सवार दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपना नाम क्रमशः 01. इमरान पुत्र युनुस सा0 सिराजी का पुरा थाना सरायमीर, आजमगढ़ बताया 02. सरफराज पुत्र निजामुद्दीन सा0 सिराजी का पुरा , सरायमीर , आजमगढ़ बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज के पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त सरफराज पुत्र निजामुद्दीन निवासी सिराजी का पुरा थाना-सरायमीर, आजमगढ़ का यह कार्य धारा 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि 1959 व (2) इमरान पुत्र युनुस सा सिराजी का पुरा थाना सरायमीर, आजमगढ़ का यह कार्य धारा- 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस का दण्डनीय अपराध बताकर समय 00.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01.सरफराज पुत्र निजामुद्दीन निवासी सिराजी का पुरा , थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

02.इमरान पुत्र युनुस निवासी सिराजी का पुरा थाना सरायमीर ,जनपद- आजमगढ़ ।

बरामदगी का विवरणः-

01. चोरी की मोटर साइकिल – 2 अदद ।

02. एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस .315 बोर ।

पंजीकृत अभियोगः-

01.मु0अ0सं0 376/25 धारा 317(2)/317(5)/3(5) भारतीय न्याय संहिता-2019 व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01. अखिलेश यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

02.उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

03.का0 चन्दन थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

04.का0 अजीत यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

05.का0 सौरभ पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

04.थाना-दीदारगंजः- चोरी के एक अदद बिजली के मोटर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.07.2025 को सुमन्त सिंह पुत्र स्व0 ऋषिमुनि सिंह ग्राम पो0 पुष्पनगर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 19/20.07.25 की रात में 01.00 बजे के करीब वादी की बोरिंग पर मोटर (02 हार्स पावर किर्लोस्कर) को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0स0 198/25 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 26.08.2025 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मुरारी पुत्र विन्धयाचल नि0ग्रा0 इटौरा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 35 बर्ष **को** मोलनापुर तिराहे के पास से एक अदद 02 HP की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ समय करीब 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. मुरारी पुत्र विन्धयाचल नि0ग्रा0 इटौरा चौबेपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

बरामदगी का विवरणः-

01. चोरी की एक अदद बिजली का मोटर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0स0 198/25 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 अवधेश कुमार थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 हरेन्द्र प्रसाद थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
4. का0 राहुल राज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

05.थाना-सरायमीर:-चोरी के 01 अदद बकरी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.08.2025 को आवेदक सिरताज पुत्र ईद्रीश निवासी ग्राम बस्ती (बस्ती नहर) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की बकरी जो वादी के घर के पास सड़क के किनारे चर रही थी कि दो मोटरसाइकिल से आये हुए अभियुक्तों द्वारा वादी की बकरी को चुराकर भागने का प्रयास किया गया जिसे वादी द्वारा देख लिया गया तथा शोर मचाने पर अन्य लोगों द्वारा दौड़ाकर 01अभियुक्त को पकड़ लिया गया व दूसरा अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहा। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-375/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1. मोहम्मद रईस पुत्र शकिल ग्राम-मोहल्ला पश्चिम बरहती जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 2. आमिर पुत्र इश्तेयाक मोहल्ला पठान टोला कस्बा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मोहम्मद रईस पुत्र शकिल ग्राम-मोहल्ला पश्चिम बरहती जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

फरार अभियुक्त का विवरण:-

01. आमिर पुत्र इश्तेयाक मोहल्ला पठान टोला कस्बा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

बरादमगी:-

01 अदद चोरी गयी बकरी।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

रईस पुत्र शकिल ग्राम-मोहल्ला पश्चिम बरहती जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

01.मु0अ0सं0 251/21 धारा 429 भा0द0वि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

02. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

06.थाना-पवई:- दुष्कर्म की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 24.07.25 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 20.07.2025 समय 01.00 बजे रात को आवेदक की बहन को अभियुक्त पंकज पुत्र मुन्नालाल निवासी सदरपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है जिसमें उसका सहयोग 01. पिंकू पुत्र संजय चमार ग्राम जाफरपुर कतकान थाना पवई आजमगढ़ 02. जितेन्द्र द्वारा किया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/25 धारा 87, 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता के बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 26.08.25 को उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र मुनीम उर्फ मुन्नीलाल निवासी सदरपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को खेमीपुर के पास से समय करीब 12.43 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. पंकज पुत्र मुनीम उर्फ मुन्नीलाल निवासी सदरपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 206/25 धारा 87, 61(2), 64 बीएनएस थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा थाना पवई आजमगढ़
2. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, थाना पवई आजमगढ़
3. का0 अनुराग यादव थाना पवई आजमगढ़

07.थाना-गंभीरपुरः-चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी के मोटरसाइकिल के पार्ट्स व चोरी के रूपयों में से बचे हुए कुल 5120 रूपये नगद के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.05.2025 को समय करीब 09.00 बजे रात्रि में वादी ओंकार सिंह पुत्र घनश्याम सिंह सा0 आदमपुर (बेलवा) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ हालमुकाम रानीपुर रजमों (बिंद्राबाजार) पोस्ट बिंद्राबाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा गांव में दिलराम यादव के यहां आयोजित तिलक समारोह में अपनी सुपर स्प्लेंडर वाहन संख्या UP50BH8112 से गये थे कि आवेदक के मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। जिसपर आवेदक द्वारा आनलाईन पोर्टल के माध्यम से मु0अ0सं0 227/2025 धारा 303(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया था।

➡ दिनांक 31.05.2025 को वादी विनोद राय पुत्र स्व0 गोरखनाथ ग्रा0 भदसारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखति तहरीर दिया गया कि दिनांक 29.05.2025 को रात्रि समय करीब 11.30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा देशी मदिरा की लाइसेंसी दुकान का शटर का ताला तोड़कर कैश लगभग 50,000/- तथा 04 पेटी शराब, व SBI बैंक से जारी स्कैनर मशीन चुरा ले गये है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-156/2025 धारा 305/331(4) BNS, बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 26.08.2025 को उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी मय उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप मय हमराह को मुखबिर खास द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 30.5.2025 को बेलवा गांव से रात्रि को मो0सा0 सं0 UP 50 BH 8112 सुपर स्पलेन्डर जो चोरी हुई थी उसके पार्टस को एक व्यक्ति लेकर बेचने की फिराक में गोमाडीह कट के पास मौजूद है । प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्त पप्पू बनवासी पुत्र स्व0 सूर्यबली निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष को एक अदद मोटरसाइकिल की हेडलाईट, 01अदद पिछला शाकर, 02 अदद साईड पैनल, 01अदद मडगार्ड, 01अदद सीट के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के जामा तलाशी से कुल 5120/- रुपये नगद बरामद किया गया। बरामद रुपयो के संबंध में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.5.2025 की रात को मैने गोसाई की बाजार मे देशी शराब की दुकान से रुपये चोरी किये थे । जो रुपये नकद मिले थे कुछ जुए में हार गया तथा कुछ खर्च हो गये है तथा जो रुपये बरामद हुए है उसी चोरी के बचे हुए है । विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) B.N.S की बढोत्तरी की गई है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. पप्पू बनवासी पुत्र स्व0 सूर्यबली निवासी ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 225/2025 धारा 303(2)/317(3) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 156/2025 धारा 303(2)/317(3) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 112/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 207/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
03. मु0अ0सं0 225/2025 धारा 303(2)/317(3) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
04. मु0अ0सं0 156/2025 धारा 303(2)/317(3) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद मोटरसाइकिल की हेडलाईट,
02. एक अदद पिछला शाकर,
03. दो अदद साईड पैनल,
04. एक अदद मडगार्ड,
05. एक अदद सीट
06. चोरी के रूपयों से बचे हुए कुल 5120 रूपये नगद

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
03. का0 सुरेश कुमार यादव, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
04. का0 अमित यादव, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
05. का0 अजीत विश्वकर्मा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

08.थाना-गंभीरपुरः- दुष्कर्म की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.08.2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिकति तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग बहन को अभियुक्त विपिन पुत्र धनश्याम ग्राम बरवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके सम्बंध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 236/205 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 26.08.2025 को उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी मय हमराह मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र धनश्याम ग्राम बरवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी,बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बी0एन0एस0 व ¾(2) पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 236/2025 धारा-137(2),87, 65(1) बीएनएस व 3, 4(2) पाक्सों एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।